समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक.......................

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक...............

विषयः- वर्ष-2015-16 हेतु योजनावार राशन/किरासन कूपन वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष-2015-16(माह जुलाई,2015 से जून,2015) की अवधि के लिए राशन/किरासन कूपन तेल कूपन योजना अन्तर्गत लाभुक परिवारों को नया बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय द्वारा संसुचित दिशा-निर्देश के आलोक में ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में पी0एच0एच/ अन्त्योदय/ किरासन तेल एवं अन्नपूर्णा लाभुक को राशन/किरासन कूपन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 615 दिनांक 26.05.2015 द्वारा आदेश/रोस्टर निर्गत कर आपको उपलब्ध कराई जा चूकी है। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक 639 दिनांक 04.06.2015 के आलोक में राशन/किरासन कूपन भी आप सभी को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चूका है। परन्तु उपलब्ध कराये उक्त कूपन के वितरण संबंधी दिनांक 28.11.2015 को आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा के क्रम पाया गया कि इस जिले में मात्र 87 प्रतिशत ही राशन कूपन वितरण हुआ है, जो चिन्ताजनक विषय है।

विदित हो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 7105 दिनांक 03.09.2015 द्वारा अवशेष कूपनों को पात्र लाभूकों को पूर्ववत् शीघ्र वितरण कराये जाने के निदेश के साथ-साथ माह सितम्बर,2015 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से कराये जाने का निदेश प्राप्त है जिसकी प्रति इस कार्यालय के ज्ञापांक 1016 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को उपलब्ध कराई जा चूकी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत के पात्र लाभूकों के बीच वितरण हेतु बचे अवशेष कूपन को एक सप्ताह के अन्दर शतप्रतिशत वितरण कराते हुए राशन/किरासन कूपन से संबंधी अंतिम प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन

Sd/-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1105...../आ0 मधेपुरा, दिनांक 11.12.2015

प्रतिलिपिः-सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर बचे हुए अवशेष राशन/किरासन कूपन को पात्र लाभूकों के बीच यथाशीघ्र वितरण कराते हुए खाद्यान्न/किरासन तेल का वितरण कूपन के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगें एव भुगतानशुदा कूपन के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवंटन करेंगें।

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/12/15

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

मधेपुरा।